इकाई 2

निजी सुरक्षा – विनियम और उपकरण

एक सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस अधिकारी की भूमिका काफी भिन्न होती है। एक सुरक्षा गार्ड को केवल संपत्ति और उस व्यवसाय के लोगों की रक्षा के लिए भुगतान किया जाता है जो जिसके पास वे काम करते हैं, जबकि, एक पुलिस अधिकारी सभी लोगों और संपत्ति की रक्षा करने के लिए बाध्य है, और भूमि के कानूनों को लागू करने के लिए भी अधिकृत है। सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा प्रणालियों को संचालित करने और मरम्मत करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संवाद करने, और खतरों के लिए स्थानों और संपत्ति की निगरानी और देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

सत्र 1 : पुलिस और अन्य संगठनों के साथ सहयोग

इस सत्र में, आप विभिन्न नियमों और विनियमों के बारे में जानेंगे जो एक शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड को पुलिस का सहयोग लेने या पुलिस और अन्य संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए जानना चाहिए। वैसे तो निजी सुरक्षा गार्ड और पुलिस की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग–अलग हैं, लेकिन अपराध को रोकने और उपद्रवियों को पकड़ने के लिए दोनों के बीच सहयोग बहुत जरूरी है। पुलिस की अगुवाई वाली जांच में सहयोग करने के लिए शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड के लिए सबूतों की समझ आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतें सबूतों के आधार पर तय करती हैं कि कोई व्यक्ति निर्दोष है या दोषी।

निजी सुरक्षा गार्ड बनाम पुलिस अधिकारी **Private security guard vs police**

पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य कानून को लागू करना और सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना है। उल्लंघन के मामले में, अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। कानून–व्यवस्था और आदेश बनाए रखने के लिए और एक अपराध के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस ने एक 'पुलिस नियंत्रण कक्ष' (पीसीआर) की स्थापना की है, जहां कोई भी एक अपराध या एक अप्रिय घटना के बारे में पुलिस को सूचित कर सकते हैं। किसी घटना के स्थान तक पहुंचने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन को 'पीसीआर वैन' कहा जाता है।

सुरक्षा गार्ड विशिष्ट लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेदारियों में पुलिस द्वारा निष्पादित कार्यों में से कुछ शामिल हो सकते हैं, जैसे लोगों का अवलोकन और निगरानी करना, और लोगों द्वारा चोरी को रोकना। लेकिन इनमें ऐसे अपराध शामिल नहीं होंगे, जिनमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता हो।

अकेले पुलिस राज्य के कानून को लागू कर सकती है। एक सुरक्षा गार्ड किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, भले ही पकड़ा गया व्यक्ति अपराधी हो। एक सुरक्षा गार्ड का कर्तव्य निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करना है क्योंकि केवल पुलिस ही गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस के आने तक सुरक्षा गार्ड व्यक्ति को अस्थायी रूप से हिरासत में ले सकता है ।

गिरफ़्तार करना **Arrest**

एक गिरफ्तारी एक अपराध के संबंध में की जाती है – या तो नागरिक या अपराधी। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने, आम तौर पर, एक अपराध की जांच या रोकथाम के संबंध में एक कार्य है। गिरफ्तारी विशुद्ध रूप से एक पुलिस मामला है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के तहत वर्दी में एक कांस्टेबल को एक वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है, यदि उसे इस बात का उचित संदेह है कि व्यक्ति ने 'संज्ञेय अपराध' किया है। एक निजी सुरक्षा गार्ड या एक आम नागरिक ऐसी शक्ति का लाभ नहीं उठा सकता है। एक संज्ञेय अपराध में, पुलिस अपने दम पर अपराध का संज्ञान ले सकती है, अर्थात उन्हें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अदालत के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। 'गैर–संज्ञेय अपराध' में, पुलिस अदालत के आदेशों, अर्थात, एक वारंट के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।

गिरफ्तारी या नज़रबंदी के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम
Rules to be followed by security staff during arrest or detention

(i) पुरुष सुरक्षा गार्ड को महिला कैदी के साथ कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए।
(ii) एक महिला सुरक्षा गार्ड को महिला कैदी के साथ रहना चाहिए।
(iii) इसी तरह, पुरुष कैदी को कभी भी महिला सुरक्षा गार्ड के साथ अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
(iv) एक सुरक्षा गार्ड के पास किसी व्यक्ति या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है जब तक कि यह मानने के लिए उचित आधार न हो कि बंदी के पास एक हथियार है, जिसका उपयोग वह स्वयं या दूसरों को घायल करने के लिए कर सकता है।

निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी (सीआरपीसी की धारा 43) **Arrest by private person (Section 43 of CrPC)**

कोई भी निजी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी या नजरबंदी कर सकता है, जो उसकी उपस्थिति में गैर–जमानती संज्ञेय अपराध, या कोई घोषित अपराध करता है, और उसके लिए दिए गए कारणों के लिए उसे जल्द से जल्द पुलिस को सौंप सकता है :

(i) ऐसा व्यक्ति धारा 41 के प्रावधान के तहत आता है (जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है)।

(ii) ऐसे व्यक्ति ने गैर–संज्ञेय अपराध किया है और उसे अपने नाम और निवास का ब्यौरा देने से इंकार कर दिया है या गलत जानकारी दी है।

यह प्रावधान केवल तब ही लागू किया जा सकता है जब पुलिस को यकीन हो कि वह व्यक्ति आपराधिक इरादे से काम कर रहा था। सीआरपीसी की धारा 43 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी की जा सकती है। जहां तक संभव हो, निजी सुरक्षा कर्मचारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ऐसी घटना में जहां उन्हें स्वयं ऐसा करना पड़ता है, यह सावधानीपूर्वक और सावधानी से किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबूत सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए, संरक्षित किए गए और पुलिस को सौंप दिए गए।

नागरिक कानून की मुख्य विशेषताएं

भारत में, नागरिक कानून में संघीय और राज्य स्तर पर गठित और उसके बाद के कानून, और देश में समय–समय पर कानून के न्यायालय द्वारा किए गए फैसले शामिल हैं। सिविल कानून के दायरे और महत्वाकांक्षा में निम्नलिखित से संबंधित मामलों और मुद्दों को शामिल किया जाता है :

(i) अचल संपत्ति कानून
(ii) व्यावसायिक या वाणिज्यिक कानून
(iii) शिक्षा कानून
(iv) उपभोक्ता कानून
(v) कर कानून
(vi) मनोरंजन कानून
(vii) संविदा कानून
(viii) प्रशासनिक कानून
(ix) बंदरगाहों का कानून

आपराधिक कानून की मुख्य विशेषताएं **Main features of criminal law**

एक आपराधिक कानून का उद्देश्य एक अपराधी को रोकना और दंडित करना है। इसके तहत मामले राज्य द्वारा लाए जाते हैं। सजा में जुर्माना और कारावास शामिल हैं। एक आपराधिक कानून के तहत एक अभियुक्त को केवल तभी दोषी ठहराया जाता है जब अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध हो। इस प्रकार के अपराधों में सामान्य हमला, शारीरिक नुकसान, हिंसा आदि शामिल हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) **First Information Report (FIR)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) सूचना का एक लिखित दस्तावेज है जो पहले पुलिस तक पहुंचता है। यह पुलिस द्वारा तब दायर किया जाता है जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध का शिकार होता है, अर्थात एक ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस पूर्व अदालत की मंजूरी (वारंट) के बिना कार्रवाई कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 154, 1973 में परिभाषित किया गया है कि पहली सूचना किसे माना जाए। किसी भी अप्रिय घटना, दुर्घटना या अपराध के बारे में किसी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त होने पर एक पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर या एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) द्वारा इसे पंजीकृत किया जाना है। कई शहरों में, निरीक्षक एसएचओ होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां एक इंस्पेक्टर एक पुलिस सर्कल का प्रभारी होता है (जिसमें एक से अधिक पुलिस स्टेशन होते हैं), व्यक्ति को

'सर्कल इंस्पेक्टर' भी कहा जाता है। सभी प्रमुख घटनाओं, दुर्घटनाओं, चोरी और अपराधों को सामान्य रूप से सिविल पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। निजी सुरक्षा कर्मियों को एक कंपनी या एक संगठन, जहां वे कार्यरत हैं, सिविल पुलिस के साथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रबंधन की अनुमति लेनी चाहिए।

एफआईआर का उद्देश्य Objectives of FIR

एक एफआईआर का प्राथमिक उद्देश्य प्रस्ताव में एक आपराधिक कानून स्थापित करने के लिए पुलिस को शिकायत करना है। हालांकि माध्यमिक है, किंतु समान रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि एक कथित आपराधिक गतिविधि की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की जाए।

एक एफआईआर कौन दर्ज कर सकता है? Who can lodge an FIR?

एक एफआईआर दर्ज की जा सकती है :

(i) शिकायतकर्ता, जो एक पीड़ित व्यक्ति है।
(ii) शिकायतकर्ता की ओर से कोई।
(iii) ऐसा व्यक्ति जो अपराध के बारे में जानता है – एक प्रत्यक्षदर्शी या एक व्यक्ति (जो किसी व्यक्ति ने सुना है)
(iv) आरोपी
(v) एस.एच.ओ.
(vi) मजिस्ट्रेट
(vii) एक डॉक्टर

एफआईआर कौन लिख सकता है? Who can write an FIR?

एक एफआईआर हमेशा एक थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिए। एसएचओ थाने का प्रभारी अधिकारी होता है।

एफआईआर की अनिवार्यता Essentials of an FIR

एफआईआर दर्ज करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए :

(i) अपराध किसने किया?
(ii) अधिनियम या अपराध किसके खिलाफ किया गया था?
(iii) अपराध कब (समय) हुआ था?
(iv) अपराध कहां हुआ?
(v) अपराध का मकसद क्या था?
(vi) क्या लिया गया था?
(vii) अभियुक्तों द्वारा क्या निशान छोड़े गए थे?

सबूत Evidence

यह उन तथ्यों या सूचनाओं को संदर्भित करता है, जिनका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई विशेष विश्वास या दावा सत्य है। एक शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड एक अपराध स्थल पर आने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है और यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह क्षेत्र को तब तक सुरक्षित रखे जब तक पुलिस स्थिति को संभाल नहीं लेती। क्षेत्र में किसी को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और पुलिस के आने से पहले कुछ भी नहीं छूना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि घटनास्थल पर पाई गई किसी भी चीज़ को अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह सच को साबित करने में मदद करेगा। सबूत कई तरह के होते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण Direct evidence

यदि गवाह ने चोरी की घटना देखी है, तो वह प्रत्यक्ष सबूत दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि गवाह पुलिस या अदालत को बताता है कि उसने आरोपी को अलमारी से कुछ चुराते हुए देखा है, तो गवाह प्रत्यक्ष सबूत दे रहा है। प्रत्यक्ष साक्ष्य गवाही है जो गवाह अदालत में सीधे अनुभव के बारे में कुछ देता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य Circumstantial evidence

परिस्थितिजन्य साक्ष्य में दी गई जानकारी एक मामले के तथ्यों से संबंधित है। हालांकि, यह अपराध के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है, जिसे एक गवाह द्वारा अनुभव किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि गवाह ने अभियुक्त को देर रात या उसी दिन जब वह चोरी की घटना को देखता है, किसी इमारत को छोड़ते हुए देखा है, तो यह सबूत 'परिस्थितिजन्य' होगा। यदि तथ्यों से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए एक लिंक स्थापित किया जाता है, तो यह साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद कर सकता है। अक्सर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सबूत अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए जोड़े जाते हैं।

अफवाह जैसा सबूत Hearsay evidence

जब कोई व्यक्ति अदालत में यह कहते हुए गवाही देता है कि उसने किसी के बारे में सुना है या उसने किसी अपराध से संबंधित कुछ सुना है, तो यह 'सुने गए सबूत' हैं। उदाहरण के लिए, यह एक अफवाह जैसा सबूत होगा, यदि एक महिला ने आपको बताया कि एक नियत कार चुरा रहा व्यक्ति हरे रंग की टोपी पहने हुए था और आपने गवाही दी कि आरोपी ने महिला के चोर के विवरण से मिलान किया। यह अफवाह सबूत का एक उदाहरण है, जिसे अदालतों में विश्वसनीय नहीं माना जाता है।

दस्तावेज़ी सबूत Documentary evidence

नोटबुक, तस्वीरें, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म, वीडियो टेप और कंप्यूटर रिकॉर्ड को 'दस्तावेजी सबूत' माना जाता है। विशेषज्ञ प्रस्तुत दस्तावेज़ की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अस्पष्ट तस्वीर या वीडियो को कम विश्वसनीय सबूत माना जाता है।

भौतिक सबूत Physical evidence

वस्तुओं, जैसे कि चाकू या कपड़े का टुकड़ा, जो कानून के न्यायालय में दिखाया गया है, 'भौतिक सबूत' हैं। गवाह के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अदालत को समझाए कि वह कहां पाया गया था, वह कैसे पाया गया था और उसे

कहां रखा गया था। उदाहरण के लिए, उस पर आरोपियों के नाम वाला एक मोबाइल फोन एक हमले के स्थान पर पाया गया था। गवाह को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यह कहां पाया गया था, यह कैसे पाया गया था और इसे कैसे सुरक्षित रखा गया है। भौतिक सबूत अपने आप में विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह केवल परिस्थितिजन्य है। उदाहरण के लिए, सिर्फ इसलिए कि एक वॉलेट आरोपी का है, यह साबित नहीं करता है कि आरोपी ने हमला किया है। यदि प्रत्यक्ष सबूत के साथ भौतिक सबूत का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गवाह का कहना है कि उसने पीड़ित को मोबाइल फोन फेंकते हुए देखा है तो साक्ष्य की विश्वसनीयता अधिक है।

चित्र 2.1 : सबूत के प्रकार

ट्रेस सबूत **Trace evidence**

एक सामान्य व्यक्ति को दिखाई देने के लिए कई बार भौतिक सबूत बहुत कम या बहुत छोटा होता है। इस तरह के सबूत को 'ट्रेस सबूत' कहा जाता है, उदाहरण के लिए, उस क्षेत्र में और उसके आसपास अंगुलियों के निशान जहां एक अपराध हुआ है। यह भौतिक वस्तुएं भी हो सकती हैं जैसे बाल, कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा, आदि। ट्रेस सबूत है, जो आम तौर पर फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा एकत्र या फोटो खिंचवाना। गुणवत्ता का पता लगाने के सबूत केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब अपराध स्थल सुरक्षित हो और क्षेत्र में प्रवेश जल्द से जल्द प्रतिबंधित हो।

अपराध स्थल की सुरक्षा **Securing a crime scene**

जब कोई व्यक्ति किसी अधिनियम में संलग्न होता है, जिसमें वह जांच को बाधित करने के इरादे से सबूतों को बदलता, छुपाता, झूठ कहना या नष्ट करता है, तो इसे 'सबूतों के साथ छेड़छाड़' कहा जाता है। यह एक अपराध को कवर करने के लिए किया जाता है। सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए, सबूतों को नष्ट करने या अपराध के दृश्य को बदलने से बचने के लिए, दृश्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। जबकि एक सुरक्षा गार्ड जो पुलिस का इंतजार कर रहा है, उसे निम्नलिखित काम करने होंगे :

(i) यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मूल दृश्य को बदलने या सबूतों को नष्ट करने में सक्षम नहीं है
(ii) टेप के साथ एक अवरोध स्थापित करें या दरवाजा बंद रखें

(iii) जिसे भी चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो उसे प्रदान करें
(iv) उसके आने का समय नोट करें
(v) जो कुछ भी देखा, सुना या सूंघा है, उसे नोट करें
(vi) अपराध स्थल का आरेख खींचना
(vii) घटना के संबंध में गवाहों का विवरण और जानकारी ले लें
(viii) सुनिश्चित करें कि लोग पुलिस के आने तक साइट को न छोड़ें
(ix) आस–पास देखे गए संदिग्ध लोगों का विवरण शामिल है
(x) ट्रेस सबूत, जैसे पैरों के निशान, रक्त की बूंदें आदि की रक्षा करना।
(xi) यदि बारिश हो रही है तो साक्ष्य को कवर करने के लिए प्लास्टिक शीट का उपयोग करें
(xii) मूल दृश्य में किए गए परिवर्तनों पर ध्यान दें

पुलिस के आने पर, शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड को निम्न कार्य करना चाहिए :

(i) उस पुलिस अधिकारी के बारे में जानकारी रखें, जो प्रभारी है और उस व्यक्ति को उस दृश्य की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत को इसके सबूत की आवश्यकता होगी कि सबूतों की रखवाली करने वाले लोगों की श्रृंखला में कोई रुकावट नहीं थी।

(ii) जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उस समय का नाम नोट करें जब प्रभार सौंपा गया था।
(iii) यदि पुलिस सहायता मांगती है तो शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड के रूप में जो भी सहायता संभव है, प्रदान करें।

अदालतों में गवाही Testifying in courts

कानून की अदालत में गवाही देना अदालत में दिए जा रहे सबूतों को संदर्भित करता है। अपराध स्थल पर पहुंचने पर उसने क्या देखा, इस संबंध में न्यायाधीश के समक्ष गवाही देने के लिए शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड को अदालत में बुलाया जा सकता है। सुरक्षा गार्ड अदालत से एक आदेश प्राप्त करेगा, उसे अदालत के सामने गवाही देने का निर्देश देगा। अदालत के आदेश में उस तारीख और समय को निर्दिष्ट किया जाएगा जब गवाही देने के लिए उसे अदालत में उपस्थित होना चाहिए। यदि सुरक्षा गार्ड इस आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो मामले में उसे कारावास का सामना कर सकता है।

यदि आप अदालत के सामने पेशेवर इमेज पेश करते हैं, तो इससे अदालत में सबूतों की विश्वसनीयता में सुधार होगा। यहां कुछ चीजें हैं जो सुरक्षा गार्ड को अदालत में पेश होने से पहले करनी चाहिए।

(i) सभी नोटों की समीक्षा करें। अपराध स्थल का समय, तारीख और स्थान सुनिश्चित करें।
(ii) घटनाओं के पूरे अनुक्रम को संशोधित करें और सटीक विवरणों के बारे में सुनिश्चित करें।
(iii) गवाही में विशेष रूप से मांग की गई चीजों के लिए अच्छी तरह से तैयार रहें और प्रश्नों के लिए योजना बनाएं, जो वकीलों द्वारा पूछे जा सकते हैं।
(iv) अपनी वर्दी में आएं।
(v) यदि अभियोजक ने संदेह स्पष्ट करने के लिए कहा है, तो जल्दी पहुंचें।

यहां कुछ खास बातें हैं जिनका पालन सुरक्षा गार्ड को अदालत के अंदर हमेशा करना चाहिए :

(i) कोर्ट में सीधे खड़े हों या बैठें।

(ii) जब वकील सवाल पूछते हैं, तो उन्हें देखें लेकिन जवाब जज को सीधे दें।

(iii) साफ आवाज में और धीरे–धीरे बोलें ताकि हर कोई सुन सके।

(iv) पूछे गए प्रश्न से अधिक उत्तर न दें।

(v) जब तक विशेष रूप से न पूछा जाए, कभी कोई राय न दें। जो ज्ञात है, उसे बताएं, जो महसूस नहीं किया गया है। यदि एक राय पूछी जाती है, उदाहरण के लिए, 'क्या आरोपी शराब के नशे में था?', पूछें कि क्या अदालत एक राय की मांग कर रही है। यदि आपको एक सकारात्मक जवाब मिलता है, तो केवल राय दें।

(vi) यदि वकीलों में से किसी को दूसरे द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न पर आपत्ति है तो रुकें। जब तक अदालत उस आपत्ति पर फैसला नहीं दे देती, तब तक जवाब न दें

(vii) किसी प्रश्न के उत्तर से अनभिज्ञ होने पर बताएं कि आपको जानकारी नहीं है। 'मुझे लगता है' या 'मेरा अंदाजा है', आदि जैसे वाक्यांशों का उपयोग न करें।

(viii) जज द्वारा आवश्यक और अनुमति दिए जाने पर ही नोटों को देखें। ऐसा केवल विशिष्ट विवरणों को याद करने के लिए करें जैसे कि अपराध स्थल पर मौजूद लोगों की संख्या।

(ix) अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील दोनों का सम्मान करें।

(x) किसी भी प्रश्न को व्यक्तिगत रूप से न लें। भले ही सवालों से परेशान हो, फिर भी एक तटस्थ चेहरे की अभिव्यक्ति की उम्मीद की जाती है।

(xi) जब तक जज न कहें तब तक अदालत से बाहर न निकलें।

निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम (पीएसएआरए), 2005
Private Security Agencies (Regulation) Act (PSARA), 2005

भारत का संविधान मूलभूत 'कानून की भूमि' है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संविधान के अनुसार देश पर शासन करने के लिए कर्तव्य बद्ध हैं। जिस तरह एक स्कूल के प्रभावी कामकाज के लिए छात्रों और शिक्षकों द्वारा पालन करने के कुछ नियम हैं, उसी तरह देश को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सरकारी रूपरेखा कानून है। इन कानूनों को अक्सर 'अधिनियमों' के रूप में प्रचारित किया जाता है। अधिनियम नियम, मानक, प्रक्रिया या दिशानिर्देश हैं जिन्हें देश के प्रभावी शासन के लिए संसद जैसे एक विधायी निकाय द्वारा प्रख्यापित किया गया है। अधिनियमों को कभी भी संविधान का विरोध नहीं होना चाहिए।

जैसा कि इस सत्र की शुरुआत में समझाया गया है, शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस अधिकारी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बिलकुल अलग हैं। अब, हम निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम (पीएसएआरए), 2005 के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं, जो भारत में सुरक्षा सेवा के व्यवसाय को नियंत्रित करता है।

सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए, भारत सरकार ने 2005 में पीएसएआरए को लागू किया। जबकि अधिनियम में एक बड़ी संरचना तैयार की जाती है, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियमों को तैयार और कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है।

पीएसएआरए 2005 में 'निजी सुरक्षा' को परिभाषित किया जाता है, ''किसी व्यक्ति या संपत्ति या दोनों की सुरक्षा या निरापदता के लिए, एक लोक सेवक के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और बख्तरबंद कार सेवा का प्रावधान शामिल है।'' अधिनियम में निजी सुरक्षा उद्योग द्वारा पालन किए जाने वाले आवश्यक नियम शामिल हैं। कुछ नियम इस प्रकार हैं :

लाइसेंस Licence

अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के निजी सुरक्षा एजेंसी नहीं चलाएगा।

वर्दी Uniform

एक निजी सुरक्षा गार्ड की वर्दी को विशिष्ट होना चाहिए और उसे सेना, नौसेना या वायु सेना के कर्मियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के समान नहीं होना चाहिए। वर्दी में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

(i) एजेंसी के बारे में पहचान बताने वाला एक आर्म बैज
(ii) पदनाम इंगित करते हुए चेस्ट बैज
(iii) सीटी को बायीं जेब में रखने के लिए सीटी को जोड़ा जाता है
(iv) लेस वाले जूते
(v) उस एजेंसी का एक विशिष्ट चिह्न जिसे हेडगेयर पर प्रदर्शित किया जा सकता है

प्रशिक्षण Training

इस अधिनियम में प्रशिक्षण के घंटे निर्दिष्ट किए जाते हैं। पीएसएआरए 2005 के अनुसार, यह ''न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा के निर्देश और 60 घंटे के फील्ड प्रशिक्षण'' के लिए होगा। एजेंसी बनाने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण राज्य सरकार को लाइसेंस प्राप्त करने के 15 दिनों के बाद नहीं दिया जाना चाहिए।

भौतिक मानक Physical standards

इस अधिनियम सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक फिटनेस के मानकों के बताया जाता है। सभी कार्यरत व्यक्तियों को मूल न्यूनतम मानक को पूरा करना आवश्यक है। पीएसएआरए 2005 के अनुसार, निजी सुरक्षा गार्डों की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं :

(i) ऊंचाई : पुरुषों के लिए 160 से.मी. और महिलाओं के लिए 150 से.मी.
(ii) वजन : ऊंचाई और वजन की मानक तालिका के अनुसार
(iii) छाती : 4 से.मी. के विस्तार के साथ 80 से.मी. (महिलाओं के लिए कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है)
(iv) दृष्टि की क्षमता

(क) दूर की दृष्टि : 6/6
(ख) निकट दृष्टि : 0.6 / 0.6 सुधार के साथ या बिना
(ग) कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं
(घ) रंग प्रदर्शन और सुरक्षा उपकरणों की पहचान और अंतर करने में सक्षम होना चाहिए
(ङ) डिस्प्ले को पढ़ें

(v) घुटने के बिना टकराए 6 मिनट में 1 कि.मी. दौड़ने में सक्षम होना चाहिए और सपाट पैर नहीं होने चाहिए।
(vi) श्रवण दोष नहीं होने चाहिए।
(vii) किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर अवरोध करने के लिए खोज करने, वस्तुओं को संभालने और बल का उपयोग करने की निपुणता और शक्ति होनी चाहिए।
(viii) किसी भी संक्रामक और संपर्क के रोग के सबूत से मुक्त होना चाहिए।

फोटो पहचान पत्र **Photo identity cards**

सुरक्षा कंपनियों को निर्धारित रूप में अपने सुरक्षा कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र प्रदान करना आवश्यक है।

पुलिस को सहायता **Assistance to police**

इस अधिनियम में सुरक्षा कंपनियों को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे जांच करने, अपने क्षेत्रों से संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा करने और प्रबंधन के माध्यम से अपने परिसर में कानूनों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने में पुलिस की सहायता करें।

श्रम कानूनों से जुड़े **Connected labour laws**

इस अधिनियम में विभिन्न श्रम कानूनों को सूचीबद्ध किया गया है जिनका पालन सुरक्षा कंपनियों या संगठनों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है, जो अधिनियम के तहत लाइसेंस चाहते हैं, इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है।

प्रलेखन **Documentation**

पीएसएआरए 2005 की धारा 15 (1) में यह बताया गया है कि सुरक्षा एजेंसी निम्नलिखित जानकारी रखने वाले रजिस्टर का रखरखाव करेगी :

(i) निजी सुरक्षा एजेंसी का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते
(ii) एजेंसी में काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों का नाम, पता, तस्वीरें और वेतन
(iii) उन व्यक्तियों या कंपनियों के नाम और पते जिनके लिए एजेंसी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है

भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में रैंक और बैज Ranks and badges in Indian Army, Navy and Air Force

एक निजी सुरक्षा गार्ड को विभिन्न सुरक्षा संगठनों से संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करना होता है। आतंकवादी हमलों या बड़ी आपदाओं से जुड़े मामलों में गार्ड को सेना के साथ सहयोग करना पड़ सकता है। पुलिस और सेना के अंदर विभिन्न रैंकों का ज्ञान, और अधिकारियों द्वारा पहने गए बैज के माध्यम से उनकी मान्यता उनके साथ बातचीत और सहयोग करने में मदद करती है।

तालिका 2.1 : भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में रैंक

क्र. सं.	सेना	नौसेना	वायु सेना
1.	फील्ड मार्शल	फ्लीट का एडमिरल	एयरफोर्स का मार्शल
2.	जनरल	एडमिरल	एयर चीफ मार्शल
3.	लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल
4.	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल
5.	ब्रिगेडियर	कोमडोर	एयर कमोडोर
6.	कर्नल	कप्तान	ग्रुप कैप्टन
7.	लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर
8.	मेजर	लेफ़्टिनेंट कमांडर	सक्वाड्रन लीडर
9.	कप्तान	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट
10.	लेफ्टिनेंट	सब–लेफ्टिनेंट	फ्लाइंग ऑफिसर

आइए हम रैंकों और संबंधित बैज पर विस्तार से विचार करें।

भारतीय सेना Indian Army

बाहरी खतरों को कम करने में एक राष्ट्र के सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय सेना का कमांडर–इन–चीफ भारत का अध्यक्ष होता है, जबकि सेनाध्यक्ष, जो जनरल के पद पर होता है, सेना का कार्यात्मक प्रमुख होता है। एक स्कूल या स्नातक के बाद सेना में शामिल हो सकता है। स्थायी आयोग के मामले में, सेना में सेवानिवृत्त होने तक का एक कैरियर होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) 10 वर्षों की अवधि के लिए कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा करने का एक मौका देता है। इस अवधि के अंत में, एक के पास दो विकल्प हैं, या तो एक स्थायी आयोग के लिए चुनाव करें या बाहर निकलें। फील्ड मार्शल का पद अक्सर भारत में मानद होता है।

चित्र 2.2 : फील्ड मार्शल का प्रतीक चिन्ह

समूह 'ए' या वर्ग –1 (राजपत्रित) अधिकारियों के रैंक और प्रतीक चिन्ह

अधिकारियों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया जाता है और सेना प्रमुख के स्तर तक बढ़ सकता है। रैंक और प्रतीक चिन्ह (रैंक बैज) इस प्रकार हैं :

तालिका 2.2 : भारतीय सेना में समूह ए या वर्ग–1 (राजपत्रित) अधिकारियों की रैंक और प्रतीक चिन्ह

प्रतीक चिन्ह									
रैंक	जनरल	लेफ्टिनेंट जनरल	मेजर जनरल	ब्रिगेडियर	कर्नल	लेफ्टिनेंट कर्नल	मेजर	कप्तान	लेफ्टिनेंट

सारणी 2.3 : ग्रुप बी या वर्ग–2 (राजपत्रित) के रैंक और प्रतीक चिन्ह – भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी

पद	प्रतीक चिन्ह
सूबेदार / रिसालदार मेजर	
सूबेदार / रिसालदार*	
नायब सूबेदार / नायब रिसालदार	
रेजिमेंटल हवलदार मेजर	

रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार	
कंपनी हवलदार मेजर / स्क्वाड्रन दफ़ादार मेजर	
कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार / स्क्वाड्रन क्वार्टर मास्टर दफ़ादार *	
हवलदार / दफादार *	
नाइक / लांस दफादार	
लांस नायक / कार्यकारी लांस दफादार	
सिपाही / सोवर *	
** आर्म्ड कॉर्प्स में रिसालदार, दफादार और सोवर समकक्ष रैंक हैं। नायब सूबेदार या रिसालदार तक की रैंक राजपत्रित (जूनियर कमीशन) है और अन्य गैर–कमीशन रैंक हैं।*	

भारतीय वायु सेना Indian Air Force

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हुए, सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ मिलकर, सभी खतरों से भारतीय क्षेत्र और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए कर्तव्य–बद्ध है। भारत का अध्यक्ष आईएएफ के कमांडर–इन–चीफ के रूप में कार्य करता है। वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल (एसीएम) के पद पर, एक चार स्टार कमांडर है और वायु सेना की कमान संभालता है।

पूर्व एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, जो दुनिया के सबसे महान पायलटों में से एक हैं, को वायु सेना के फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया है। वे भारत के पहले एयर चीफ मार्शल थे।

वायु सेना का रैंक Air Force ranks

वायु सेना अधिकारी रैंक और कॉम्बिनेशन ऑफ शेवरॉन, लायन ऑफ सारनाथ (राष्ट्रीय प्रतीक) के संयोजन के लिए व्यापक और संकरी पट्टी के संयोजन को आस्तीन पर उपयोग करता है, और सूचीबद्ध रैंक के लिए विंग प्रतीकों का उपयोग करता है।

अधिकारी रैंक Officer ranks

अधिकारियों को फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन दिया जाता है और वे एयर चीफ मार्शल बन सकते हैं, जो एक चार स्टार जनरल हैं। एक ग्रुप कैप्टन एक कर्नल के समान रैंक का होता है और एयर कमोडोर ब्रिगेडियर के बराबर होता है। इसी तरह, एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल क्रमशः मेजर जनरलों और लेफ्टिनेंट जनरलों के समकक्ष हैं।

तालिका 2.4 : भारतीय वायु सेना में रैंक का प्रतीक चिन्ह

रैंक	प्रतीक चिन्ह Insignia
एयर चीफ मार्शल	
एयर मार्शल	
एयर वाइस मार्शल	
एयर कमोडोर	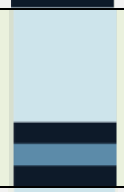
ग्रुप कैप्टन	
विंग कमांडर	
स्वाड्रन लीडर	

फ्लाइट लेफ्टिनेंट	
फ्लाइंग ऑफिसर	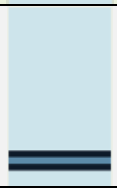

अधिकारी रैंक से नीचे के लोग (पीबीओआर) ***Persons Below Officer Ranks (PBOR)***

ऑफिसर रैंक के नीचे के व्यक्ति, सामान्य रूप से, वायु सेना में एयरक्राफ्टमैन के रूप में शामिल होते हैं और मास्टर वारंट ऑफिसर के रैंक तक बढ़ते हैं, जो वरिष्ठतम पीबीओआर है। बड़ी संख्या में सीधे जूनियर वारंट अधिकारियों की भर्ती भी की जाती है। जूनियर वारंट अधिकारी से ऊपर रैंक जूनियर कमीशन अधिकारी हैं।

भारतीय नौसेना **Indian Navy**

भारतीय नौसेना भारत की सशस्त्र सेना की नौसैनिक शाखा है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के कमांडर–इन–चीफ के रूप में कार्य करता है। एडमिरल के रैंक पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ (सीएनएस) नौसेना को कमांड करते हैं। संघ के अन्य सशस्त्र बलों के साथ संयोजन में, नौसेना युद्ध और शांति दोनों क्षेत्रों में भारत के क्षेत्र, लोगों या समुद्री हितों के खिलाफ खतरों या आक्रामकता को रोकने या पराजित करने का कार्य करती है। नौसेना में निम्नलिखित तीन कमांड हैं, जिनमें से प्रत्येक एक ध्वज Flag के नियंत्रण में होते हैं।

(i) पश्चिमी नौसेना कमान (मुंबई में मुख्यालय)।
(ii) पूर्वी नौसेना कमान (विशाखापत्तनम में मुख्यालय)
(iii) दक्षिणी नौसेना कमान (कोच्चि में मुख्यालय)

अधिकारी रैंक ***Officer rank***

अधिकारियों को सब लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया जाता है और वे एक एडमिरल के स्तर तक पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, जो एक चार स्टार जनरल वाला है।

नौसेना का एक कप्तान एक कर्नल के समान रैंक का होता है और कमोडोर ब्रिगेडियर के बराबर होता है। इसी तरह, रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल क्रमशः मेजर जनरलों और लेफ्टिनेंट जनरलों के समकक्ष होते हैं। नौसेना में फील्ड मार्शल के समकक्ष एडमिरल फ्लीट होते हैं।

तालिका 2.5 : भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह और रैंक

रैंक	प्रतीक चिन्ह Insignia
फ्लीट का एडमिरल	
एडमिरल	
वाइस एडमिरल	
नौ सेनापति	
कमोडोर	
कप्तान	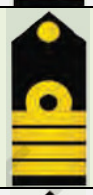
कमांडर	
लेफ़्टिनेंट कमांडर	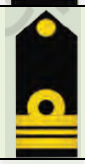
लेफ्टिनेंट	

सब लेफ्टिनेंट	

ऑफिसर रैंक से नीचे के कार्मिक (पीबीओआर) ***Persons Below Officer Rank (PBOR)***

ऑफिसर रैंक (पीबीओआर) से नीचे के लोग, सामान्य रूप से, नेवी में सीमैन–2 के रूप में शामिल होते हैं और मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर–1 के रैंक तक पदोन्नत किया जा सकता है, जो सबसे वरिष्ठ पीबीओआर है। हालांकि, बड़ी संख्या में लोगों को सीधे चीफ पैटी ऑफिसर के रूप में भी भर्ती किया जाता है। चीफ पैटी ऑफिसर के ऊपर रैंक जूनियर कमीशन अधिकारी हैं।

तालिका 2.6 : पैटी अधिकारी और नीचे के कार्मिक भारतीय नौसेना में गैर–कमीशन अधिकारी हैं

रैंक	प्रतीक चिन्ह
मास्टर चीफ पैटी अधिकारी 1	
मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर 2	
चीफ पैटी अधिकारी	
पैटी अधिकारी	
लीडिंग सीमैन	
सीमैन–1	कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है
सीमैन–2	कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है

पुलिस में रैंक Ranks in the police

राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की रैंक और प्रतीक चिन्ह

राजपत्रित अधिकारियों में सभी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी शामिल होते हैं, जो सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) या उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद से ऊपर और अखिल भारतीय सेवाओं और सभी राज्य पुलिस सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित होते हैं।

तालिका 2.7 : पुलिस में विभिन्न रैंकों का प्रतीक चिन्ह (राजपत्रित)

पद	प्रतीक चिन्ह
पुलिस आयुक्त (राज्य) या पुलिस महानिदेशक	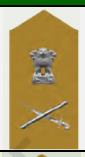
संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस महानिरीक्षक	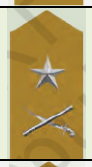
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपमहानिरीक्षक	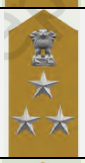
पुलिस उपायुक्त या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	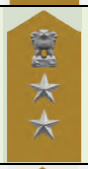
पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक	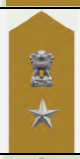
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	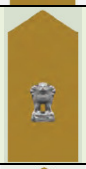
सहायक पुलिस आयुक्त या उप पुलिस अधीक्षक	
सहायक पुलिस अधीक्षक (प्रोबेशनरी रैंक : 2 वर्ष की सेवा)	

सहायक पुलिस अधीक्षक (प्रोबेशनरी रैंक : 1 वर्ष की सेवा)	

तालिका 2.8 : पुलिस में विभिन्न रैंक का प्रतीक चिन्ह (अराजपत्रित)

रैंक		प्रतीक चिन्ह
निरीक्षक	तीन स्टार, और नीले और लाल	
सहायक निरीक्षक	दो स्टार, और नीले और लाल रिबन	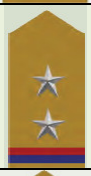
सहायक उप निरीक्षक	एक स्टार, और नीला और लाल रिबन	
हेड कांस्टेबल	तीन लाल धारियां	
वरिष्ठ कांस्टेबल	दो लाल धारियां	
पुलिस हवलदार		

प्रायोगिक अभ्यास

गतिविधि 1

कल्पना कीजिए कि आप एक आवासीय परिसर के लिए एक शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात हैं। आपने अभी अपनी शिफ्ट शुरू की है। सुबह 7 बजे, आपको मनोज के पड़ोसी धीरज का फोन आता है कि उसके अपने अपार्टमेंट में हत्या हो गई है। क्रमिक रूप में उन चरणों का वर्णन करें जिन्हें आप फोन कॉल प्राप्त करने के बाद एक सुरक्षा गार्ड के रूप में लेंगे।

गतिविधि 2

अपने शिक्षक के नेतृत्व में एक समूह में स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जाएं। जाने से पहले, उन सवालों की एक सूची बनाएं, जो अपराधों की जांच (एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया सहित) में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अनुसार पुलिस की भूमिका पर आपकी समझ को बेहतर बनाएंगे। अपराधों की रोकथाम और जांच में पुलिस एक शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करती है, यह जानने की कोशिश करें।

अपनी प्रगति जांचें

क. रिक्त स्थान भरें

1. निजी ..... एजेंसियां ..... अधिनियम भारत में सुरक्षा सेवा के व्यवसाय को नियंत्रित करती हैं।

2. जब आप अदालत में यह कहते हुए गवाही देते हैं कि आपने किसी के बारे में या किसी अपराध से जुड़ी कोई बात सुनी है, तो यह ..... सबूत है

3. एक निजी सुरक्षा एजेंसी का शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड ..... लोगों और संपत्ति की सुरक्षा करता है जबकि पुलिस अधिकारी ..... लोगों और संपत्ति की रक्षा करते हैं, और कानून लागू करता है।

ख. बहु विकल्पी प्रश्न

1. दिनेश पर एक शॉपिंग मॉल से सोने की चेन चोरी करने का आरोप है। सुरक्षा गार्ड ने अलार्म बजने के तुरंत बाद उसे मॉल की खिड़की से कुछ फेंकते पाया। यह एक ..... है ।
   (क) परिस्थितिजन्य सबूत
   (ख) सुने हुए सबूत
   (ग) प्रत्यक्ष सबूत
   (घ) भौतिक सबूत

2. सुप्रिया ने एटीएम बूथ के बाहर अपने मौके का इंतजार करते हुए, दीपक को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मशीन के अंदर एक धातु की वस्तु डालने की कोशिश करते हुए देखा। यह एक ..... है।
   (क) परिस्थितिजन्य सबूत

(ख) सुने हुए सबूत
(ग) प्रत्यक्ष सबूत
(घ) भौतिक सबूत

3. अदालत में गवाही देते समय, ...।
(क) आप हमेशा अपनी राय दे सकते हैं
(ख) आप अपनी राय कभी नहीं दे सकते, आप केवल तथ्य दे सकते हैं
(ग) आप जज की अनुमति लेने के बाद अपनी राय दे सकते हैं
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

ग. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. कानून की अदालत में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सबूत क्या हैं? दूसरों की तुलना में कौन सा सबूत कम विश्वसनीय माना जाता है? क्या इसका मतलब है कि कम विश्वसनीय सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों?

2. क्या आपको लगता है कि पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों के बीच सहयोग जरूरी है? यदि हां, तो क्यों?

3. यदि एक पुलिस अधिकारी को न केवल निरीक्षण करने, हिरासत में लेने और घटनाओं की रिपोर्ट करने और कानून के अभिशासन को लागू करने और व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनाया गया है तो क्या आपको लगता है कि एक शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड होने की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्यों?

आपने क्या सीखा?

इस सत्र के पूरा होने पर, आप निम्न कार्य करने में समक्ष होंगे :

- पुलिस और एक निजी सुरक्षा गार्ड के बीच अंतर बताना।
- पुलिस के नेतृत्व वाली जांच में एक सुरक्षा गार्ड की भूमिका की पहचान करना।
- विभिन्न प्रकार के सबूत का वर्णन करना।
- समझाएं कि अदालतों में गवाही कैसे दी जाए।
- निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के बुनियादी कानूनी प्रावधानों को सूचीबद्ध करना।
- सैन्य और पुलिस में रैंक और संबंधित बैज पहचानना।